

# कार्यालय

क्रमांकः

दिनांकः

## कार्यालय—आदेश

राजस्थान सेवा नियम 91—बी के प्रावधानानुसार स्थानीय विद्यालय के कार्मिक .....  
 ..... पद ..... द्वारा राज्य सेवा में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर दिनांक — .....  
 को सेवानिवृत्ति होने के परिणमस्वरूप कार्मिक की सेवा पुस्तिका के अवकाश खाते में शेष उपार्जित अवकाश  
 300 दिवस के स्वत्व के अवकाश वेतन में नकद भुगतान की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

नकद भुगतान के उपार्जित अवकाश स्वत्व की प्रविष्टि, कार्मिक के अवकाश लेखा में की  
 जाकर पी.एल. स्वत्व शून्य कर दिया गया हैं।

कार्मिक का माह ..... का मूल वेतन ..... रूपये हैं। उपार्जित अवकाश का  
 नकदीकरण निम्न बजट मद से आहति किया जावें।

मांगपत्र—15

2071—पेंशन तथा सेवानिवृत्त हितलाभ  
 01—सिविल  
 115—छुट्टी नकदीकरण हितलाभ

प्रधानाचार्य

क्रमांकः

दिनांकः

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभग कोटा।
2. संयुक्त निदेशक महोदय, कोटा।
3. उपकोषाधिकारी महोदय, उपकोष अटरु।
4. संबन्धित कार्मिक.....
5. रक्षित प्रति।

प्रधानाचार्य